लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स टुडेज फैशन, प्रस्तावकः मोहम्मद दाऊद खान, पुत्रः मोहम्मद साबिर खान, पताः महावीर मार्केट, ओल्ड कोर्ट रोड, जिला—नवादा द्वारा गया बुढ़ नदी बालू घाटः 01, 02 एवं 03, ग्राम—कुसाप, मताई, नेपा और कुसापी, अंचल—टेकारी, जिला—गया अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 05.08.2023 को अपराहृन 03:30 बजे अंचल कार्यालय, टेकारी, जिला—गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/BR/MIN/425226/2023, dated 20.05.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 05.08.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, टेकारी, जिला—गया में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक—1**)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 04.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया बुढ़ नदी बालू घाटः 01, 02 एवं 03, ग्राम—कुसाप, मताई, नेपा और कुसापी, अंचल—टेकारी, जिला—गया के लेसी को मंच पर आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी या उनके प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप

से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया / सुझाव
1.	श्री विकाश कुमार, पिता–श्री रामविनय शर्मा, ग्राम–कुसाप, अंचल–टेकारी, जिला–गया	इनके द्वारा स्थानीय लोगो के रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बतलाया गया कि स्थानीय लोगो को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरणी के साथ श्री विकाश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
2.	श्री गणेश कुमार, ग्राम–भोरे, अंचल–टेकारी, जिला–गया	इनके द्वारा यह सूक्षाव दिया गया कि खनन पट्टा क्षेत्र के आस–पास वृक्षारोंपण किया जाए एवं इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले। उपरोक्त सुझाव को परियोजना प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री राहुल कुमार, ग्राम–कोंच, अंचल–टेकारी, जिला–गया	इनके द्वारा यह बताया गया कि खनन चालु होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं अवैध बालू खनन पर रोक लगेगी।
4.	श्री शमाकान्त यादव, ग्राम–नौनी, अंचल–टेकारी, जिला–गया	इनके द्वारा यह बताया गया कि बालू खनन चालु होने से पानी का स्तर निंचे चला जायेगा एवं गांव के रास्ते से वाहनों के चलने पर बच्चों के सुरक्षा के संबंध में प्रश्न पूछा गया।

		इस संबंध में परियोंजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहाकार के द्वारा बतलाया गया कि विशेष परिस्थिति में स्थानीय लोगो को पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं बच्चों के विद्यालय आने–जाने के अवधि में वाहनों का परिचालन नहीं किया जायेगा।
5.	श्री प्रवीण कुमार, ग्राम–कुसाप, अंचल–टेकारी, जिला–गया	इनके द्वारा यह बताया गया कि खनन चालु होन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं अवैध बालू खनन पर रोक लगेगी। बालू का परिवहन वाले रास्तें पर लगातार करना आवश्यक है। परियोंजना प्रस्तावक के द्वारा इनके सुक्षाव को स्वीकार किया गया।

उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यह बतलाया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई की कार्यवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

अपर समाहर्त्ता
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स टुडेज फैशन, प्रस्तावकः मोहम्मद दाऊद खान, पुत्रः मोहम्मद साबिर खान, पताः महावीर मार्केट, ओल्ड कोर्ट रोड, जिला–नवादा द्वारा गया बुद्ध नदी बालू घाटः 01, 02 एवं 03, ग्राम–कुसाप, मताई, नेपा और कुसापी, अंचल–टेकारी, जिला–गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 05.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय टेकारी, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजीत कुमार	अपर समाहर्ता, गया।	[signature] 5-8-23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया	[signature] 5-8-23
3.	अमित कुमार	खनन निरीक्षक, गया	Amit 05/08/23
4.	Ankur Sharma	Cognizance Research India Pvt Ltd. Consultant	[signature] 5/8/23
5.			
6.	रजनीश कुमार	ग्राम – केदुआ, थाना – टिकारी, पंचायत – गोरी	Rajnish Kr
7.	मुकेश कुमार	ग्राम नेपा, थाना टिकारी पंचायत नेपा	Mukesh Kumar
8.	प्रमोद कुमार	ग्राम – नेपा थाना टिकारी पंचायत [illegible] (गया)	Pramod Kumar
9.	विकाश कुमार	ग्राम, कुसाप, थाना – टिकारी गया	Vikash Kumar

10.	अनीष कुमार	ग्राम - कुसाप, थाना - टिकारी जिला - गया, पो० - मऊमेन	अनीष कुमार
11.	राहुल कुमार शर्मा	ग्राम - कुसाप, था० - टिकारी जिला - गया (बिहार)	Rahul Kumar Sharma
12.	प्रवीण कुमार सिंह	ग्राम - कुसाप, थाना - टिकारी गया (बिहार)	Pravankr singh
13.	संतोष कुमार	ग्राम - कसीमा, थाना - टिकारी गया (बिहार)	Santosh kumar
14.	रमेश कुमार	ग्राम - मैसा - थाना - टिकारी जिला - गया (बिहार)	Ramesh Kumar
15.	धर्मेन्द्र कुमार	ग्राम - मोरी टिकारी गया बिहार	धर्मेन्द्र कुमार
16.	राकेश कुमार	ग्राम कुसाप थाना टेकारी जीला गया बिहार	राकेश कुमार
17.	अमरेन्द्र कुमार	ग्राम - मोरी, टिकारी, गया	Amrendra Kumar
18.	नारायण शर्मा	ग्रा० + पो० - मोरी टेकारी गया (बिहार)	नारायण शर्मा
19.	गणेश कुमार	ग्रा० + पो० - मोरी टेकारी (गया) बिहार	Ganesh kum
20.	बिपुल कुमार	मोरी टेकारी	बिपुल कुमार

21.	मुन्ना कुमार	ग्राम - कुशाप टिकारी, जिला - गया	[signature]
22.	शिवम कुमार	ग्राम - कुसाप टिकारी, जिला - गया	शिवम कुमार
23.	प्रविण कुमार	ग्राम - कुरनाप - टिकारी जिला - गया	Pravin Kr
24.	सोनू कुमार	ग्राम - कुसाप	[signature]
25.	कमलेश यादव	अताई	कमलेशयादव
26.	राहुल कुमार	ग्राम कुशापी जिला गया	राहुल कुमार
27.	Md. Jawed Khan Noorjya fashion	Nawada	Jawed Khan
28.	पिंकी ~~चक्रवर्ती~~	पुरा	Pinki
29.	संजित शर्मा	मोरी	संजित शर्मा
30.	भोला कुमार	गया, गया	[signature]
31.	संजीत सिंह	कुशापी, गया	Sanjit

32.	आरविंद कुमार	नरेक	आरविंद कुमार
33.	पीयूष कुमार	कुसाप	PS
34.	गौतम,	कुलापी	Gatam
35.	शैलन	मतई	शैलन
36.	मनीष कुमार	नेपा	[illegible]
37.	मिठु	मतई	[illegible]
38.	[illegible] कुमार	मतई	[illegible]
39.	मुकेश यादव	[illegible] नेपा	मुकेश यादव
40.	आदर्श अभिनव	[illegible]	[illegible]
41.	मुकेश चौधरी	[illegible] नेपा	NUKESH Chaudhary
42.	धनेश कुमार	नेपा	
43.	रवि सिंह	कुसाप	Ravi Singh
44.	[illegible]	कुसाप	[illegible]
45.			
46.			